



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी



पत्रांक : सा. 1633 /2023 दिनांक 28 जनवरी, 2023

योग्य कुटुम्बम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

कार्यालय-ज्ञाप

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश डिग्री विकास अनुभाग प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री विकास/135023/2021-22 दिनांक 15.12.2021 के क्रम में रोवर्स/रेंजर्स को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु गठित समिति के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक-डिग्री विकास/34031/2022-23 दिनांक 14.11.2022 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय हेतु छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्राचार्य को सन्दर्भित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पादित करायें।

संलग्नक- यथोक्त।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित करायें।
4. प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
6. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा/सम्बद्धता)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवामें,

1. कुल सचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उ०प्र०।

पत्रांक-डिग्री विकास/ 34031 / 2022-23

दिनांक- 14/11/2022

विषय-प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-डिग्री विकास/135023/21-22 दिनांक 15.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उ०प्र० तथा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है।

उक्त पत्र के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स दलों के गठन तथा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत् विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

1. प्रत्येक महाविद्यालय को कम से कम एक रोवर्स/रेंजर्स 24-24 की संख्या में गठन के साथ ही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
2. प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रूपये 50=00 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स के फण्ड में जमा की जाए।


उक्त फण्ड की धनराशि को उ०प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला संस्था भारत स्काउट एवं गाइड सम्बन्धित जनपद स्तर पर क्रमशः-15:20 : 50:15 के अनुपात में एकत्रित की जाए, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट और गाइड उ०प्र० के पत्रांक-सी०जी०-105/172/202 दिनांक 30.04.2022 द्वारा समस्त विश्वविद्यालय उ०प्र० को भारत स्काउट और गाइड मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत स्काउट और गाइड के नियम संख्या 90 के अन्तर्गत जिला संस्था का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं से वार्षिक 50/- रू० की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्न विवरणानुसार वितरित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है-

1. विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर 50%(रू० 25/-छात्र/छात्रा)
2. विश्वविद्यालय जिला संस्था 20%(रू० 10/-छात्र/छात्रा)
3. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ०प्र० 30%(रू० 15/-छात्र/छात्रा)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त के पत्रांक-सी०जी०-105/172/202 दिनांक 30.04.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर पर रोवर्स/रेंजर्स की गतिविधियों को क्रियाशील बनाने का कष्ट करें।

भवदीय


डॉ० (जय सिंह)


सहायक निदेशक, (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या-डिग्री विकास/उप031-46/2022-23

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० महानगर, लखनऊ।
2. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० महानगर, लखनऊ।
3. प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का०/गा०)/प्रशिक्षण आयुक्त (स्का०/गा०) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० महानगर, लखनऊ।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्वयत्त पोषित महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का०/गा०) सम्बन्धित मण्डल को इस आशय के साथ कि अपने मण्डल स्थित जनपदों के उच्चाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।


14.11.22

डॉ० (जय सिंह)

सहायक निदेशक, (उ०शि०)

कृते शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)

④ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०



डा० प्रभात कुमार, आई० ए० ए० (मे० वि०)
 प्रादेशिक मुख्यालय
 भारत स्काउट और गाइड उ० प्र०

पत्रांक C.G. 105/1172/2021
 दिनांक 30.4.2022

Sub : Recognition of University as Education District under Rule 90 of National Headquarters, Bharat Scouts & Guides

Dear Sir,

You may be aware that Bharat Scouts & Guides, U.P. is a voluntary, non political Organization under the patronage of Honorable Governor of Uttar Pradesh.

The objective of Bharat Scouts & Guides is to develop youth of this country physically, mentally, intellectually, socially, spiritually and emotionally and inculcate in them, the spirit of national unity and integrity. As per the instructions of National Headquarters, Bharat Scouts and Guides New Delhi, Bharat Scouts and Guides U.P. has decided to recognize your university as one of the districts for carrying out activities of Roving / Ranging in the university and all its affiliated institutions so that the university gets sufficient autonomy in its functioning, independent of the district unit of the revenue district where the university is situated. Needless to mention that university shall be given an affiliation as district by the Bharat Scouts & Guides, Uttar Pradesh.

Under the instructions of Honorable Governor, the Director, Department of Higher Education has already written to you regarding development of Roving/Ranging Program vide Letter No Degree vikas/135023/2021-22 dated 15th Dec 2021. I have also written a detailed letter for institutionalizing various activities of roving/ranging vide my letter C.G. 105/1680/2020-21 dated 22nd March 2021.

Since it has been decided to constitute university as a district as per Rule No. 90 of National Headquarters, Bharat Scouts & Guides, New Delhi, the sharing of Fee (Rs. 50/- per student per annum) among different bodies shall be as follows:-

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Residential University/College | - | 50% |
| 2. University as District | - | 20% |
| 3. State Association, Bharat Scouts & Guides, U.P. | - | 30% |

J.D. - I
 H.A.
 02.11.2021

Signature
 02/11/21

आगे धिक्कर किया तो लागू और अविरोध करावे :



In view of the above, to constitute the university as a district and to carry out the activities as per the Rules, the following Ad hoc Committee shall be constituted by The Vice Chancellor :-

1. Vice Chancellor - President
2. Registrar - Secretary
3. Principal/Dean (Male) nominated by Vice Chancellor - Member
4. Principal/Dean (Female) nominated by Vice Chancellor - Member
5. The Assistant State Organizing Commissioner(Scout/Guide) of Bharat Scouts & Guides, U.P. of the Division concerned -Ex. officio member

The function of the Ad hoc Committee shall be to recommend the names for the following positions in the university district to the State Association for approval :-

1. President - Vice Chancellor
2. District Chief Commissioner - Principal of any College situated in the university Headquarter District or Dean of university in the case of residential university.
3. District Commissioner(Rover) - Dean / Any person not below rank of Professor (Male)
4. District Commissioner (Ranger) - Dean / Any person not below rank of Professor (Female)
5. District Secretary - Registrar / Deputy Registrar of the university

After the recommendations are sent to the State Headquarters, Bharat Scouts & Guides, U.P., Gole Market, Mahanagar, Lucknow, formal warrants/letters for their appointments shall be issued and affiliation to the University shall be granted. After affiliation and constitution of District Association, further action shall be taken as per Bharat Scout & Guide Rules, Chapter V of the rules book. A copy of District model By Laws is enclosed for your ready reference. The formal application format for affiliation is also enclosed.

Assistant State Organizing Commissioner Mr./Mr.

Mobile Number _____ has been instructed to contact and liaise with you for further necessary action in this regard.

पत्रांक: ए.ए.सी.-105/172/2022-2
दिनांक - 30.4.2022

I shall be grateful if you could kindly take immediate steps to constitute the university District Organization in your university, under intimation to the undersigned.

Should you have any query, please do not hesitate to contact me.

With regards,

(Dr. Prabhat Kumar)
State Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides, U.P.

Enclosed: As above

To,
The Honorable Vice Chancellor

Copy to the following for kind information and necessary action :-

1. Chief National Commissioner, Bharat Scouts & Guides, National Headquarters, New Delhi.
2. Director Education (Higher Education), U.P., Prayagraj.
3. Registrars, All universities, U.P.
4. All State Commissioners, Bharat Scouts & Guides, U.P.
5. State Treasurer, Bharat Scouts & Guides, U.P.
6. State Secretary, Bharat Scouts & Guides, U.P.
7. State Organizing/Training Commissioner (Scout/Guide), Bharat Scouts & Guides, U.P.
8. All Assistant State Organizing Commissioners, (Scout/Guide), Bharat Scouts & Guides, U.P.

(Dr. Prabhat Kumar)
State Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides, U.P.

Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides
Uttar Pradesh, Lucknow



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी, प्रयागराज-211010

पत्रांक संख्या : प्रोरासिविदि / कुसका / 2022- 869

दिनांक : 14 / नवम्बर / 2022

सेवा में,


प्रादेशिक सचिव,
भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०
प्रादेशिक मुख्यालय, महानगर, लखनऊ।

विषय-विश्वविद्यालय जिला संस्था का सम्बद्धता शुल्क रूपये 5,000/- के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया आपके पत्र संख्या सी०जी० 105/1142/2022-23 दिनांक 24.09.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 09.11.2022 को भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 10122401342 आईएफएस कोड SBIN0006144 में विश्वविद्यालय जिला संस्था का सम्बद्धता शुल्क रु. 5,000/- का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से कर दिया गया है।

भवदीय


(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मा० कुलपति जी को सूचनार्थ।


कुलसचिव